अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार

निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाऐं

क्रमांकः–एफ.2( )लेखा/बजट–भुग./आईसीडीएस/16/95703-735 जयपुर, दि0 19.7.16

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग (समस्त)

विषयः–गरम पूरक पोषाहार/आरटीई एसएचजी के बिलों का नियमित भुगतान करने बाबत।

संदर्भः– विभाग का पत्रांक 70288–627/28.7.15, 86979–87013/15.9.15 एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, मबावि का पत्रांक 71661–66/3.8.15

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा एवं विभाग स्तरीय आयोजित की जाने वाली समीक्षा बैठकों तथा विडियो कान्फेन्सिंग के दौरान गरम पूरक पोषाहार/आरटीई एसएचजी के बिलों का नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के साथ ही जिला स्तर पर भुगतान की नियमित समीक्षा करने हेतु निर्देशित किया गया है।

निदेशालय स्तर से नियमित रूप से निर्देशित करने के उपरांत भी परियोजना स्तर पर स्वंय सहायता समूहों को गरम पूरक पोषाहार/आरटीई एसएचजी के बिलों के भुगतान की समीक्षा में पाया गया है कि इन बिलों का भुगतान नियमित रूप से नहीं हो रहा है। कतिपय मामलों में 3–4 माह के भुगतान लम्बित चल रहे है, जो खेदजनक है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि परियोजना स्तर पर स्वंय सहायता समूहों को गरम पूरक पोषाहार/आरटीई एसएचजी के बिलों का भुगतान नियमित होना सुनिश्चित किया जावे अन्यथा स्थिति में विलम्ब के लिए संबंधित का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए, निदेशालय को सूचित करावें।

निदेशक

क्रमांकः–एफ.2( )लेखा/बजट–भुग./आईसीडीएस/16/95738-96040 जयपुर, दि0 19.7.16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, आईसीडीएस, मुख्यालय।
2. अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार), मुख्यालय।
3. बाल विकास परियोजना अधिकारी (समस्त)
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

वित्तीय सलाहकार